

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 94/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

आई सी आई सी आई होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, कार्यालय आई.सी.आई.सी. बैंक टॉवर, बांद्रा  
कुर्ला काम्पलेक्स मुम्बई शाखा पता ग्राउण्ड फ्लोर, एस-32, जेडीए मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर  
लिंक रोड, रिट्टी सिट्टी स्वीटस के पास, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक/संस्था

बनाम

1. शीतल सोनी,  
पता :- 1, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क शास्त्री नगर, जयपुर,  
एवं 403, एक्सिस मॉल, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर।
2. विजय कुमार सोनी,  
पता :- 1, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री भवानी सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश


दिनांक 07.04.2022


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.01.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी शीतल सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 19, 20 21, 22,, 23, 24 पूर्व भाग पर स्थित प्लेट नम्बर 911, नवम् तल, कोरल स्टूडियो 2, टॉवर बी, जेवियर आर्कड प्रथम, रामनगरिया विस्तार, जगतपुरा, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल कारपेट एरिया 305.16 वर्ग फीट एवं बिल्टअप एरिया 530 वर्ग फीट को बन्धक रख कर कुल रूपये 16,07,500/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर 2003 को क्रम संख्या 3 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान/बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी को 16,07,500/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 18,03,124/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी शीतल सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 19, 20, 21, 22, 23, 24 पूर्व भाग पर स्थित प्लॉट नम्बर 911, नवम् तल, कोरल स्टूडियो 2, टॉवर बी, जेवियर आर्कैड प्रथम, रामनगरिया विस्तार, जगतपुरा, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल कारपेट एरिया 305.16 वर्ग फीट एवं बिल्टअप एरिया 530 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(राजेंद्र विशाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर